BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 31 अक्टूबर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 05 वर्ष 06 माह का कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में थाना बीबीनगर क्षेत्र निवासी एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मुअसं- 169/2022 धारा-354ख भादवि व 9एम/10 पोक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.10.22 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त संजय को 05 वर्ष 06 माह का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री भरत शर्मा व श्री वरुण कौशिक एवं श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर